

13.09.2017

अपीलार्थीगण द्वारा अधि० श्री जी.एस.निगम।
प्रत्यर्थीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 13.05.14 को अपीलार्थी को तलवाना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसके पश्चात से निरंतर 15 अवसरों पर अपीलार्थी को तलवाना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। किंतु 15 अवसर दिये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थीगण की उपस्थिति हेतु तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रत्यर्थीगण पर नोटिस का निर्वाह नहीं हो पाया है।

अतः यह अपील आदेश 9 नियम 2 सहपठित आदेश 41 नियम 14(1) के अंतर्गत अपीलार्थीगण की ओर से समनों की तामील के खर्चे देने में असफल रहने के आधार पर निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर जिला जज गोहद